

राजस्थान आवासन मण्डल:: जयपुर



क्रमांक:- प1(1)कार्मिक/कनि.लेखा/2019/2755

दिनांक:- 7/2/2020

संशोधित अधिसूचना

मण्डल की पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक प1(1)कार्मिक/कनि.लेखा/2019/2682 दिनांक 31.01.2020 में आंशिक संशोधन निम्न प्रकार से किया जाता है :-

मण्डल की बैठक दिनांक 12.09.2018 के बिन्दु संख्या 236.18 में लिये गये निर्णयानुसार कनिष्ठ सहायक से कनिष्ठ लेखाकार के पदों पर पदोन्नत कार्मिकों का पदस्थापन प्रथमतः 05 वर्ष तक जयपुर संभाग/गृह जिले में नहीं होगा।

उक्त संशोधित अधिसूचना सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(संचिता बिश्नोई)
सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता मुख्यालय/ प्रथम/ द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सचिव-सचिव/वि0स0 एवं मुख्यलेखाधिकारी, रा0आ0 मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/उप आवासन आयुक्त वृत्त.....।
5. आवासीय अभियन्ता, खण्ड..... राज0 आवासन मण्डल,.....।
6. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), रा0आ0 मण्डल, जयपुर।
7. समस्त प्रकोष्ठ मुख्यालय राज0 आवासन मण्डल, जयपुर।
8. लेखाधिकारी भुगतान/ एसीआर/गोपनीय /विधि प्रकोष्ठ, रा0आ0 मण्डल, जयपुर।
9. नोटिस बोर्ड/रक्षित पत्रावली।


वरिष्ठ कार्मिक प्रबन्धक